PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Rajasthan Patrika, Jaipur
Monday 12th January 2015, Page: 5
Width: 12.20 cms, Height: 17.62 cms, a4, Ref: pmin.2015-01-13.7.17

बिना परामर्श के बिक रही दर्द निवारक की दवाइयां

नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने कहा ट्रमाडोल का प्रयोग नशे में, फिर भी शहर में इतनी ढिलाई

जोधपुर
jodhpur@patrika.com

ट्रमाडोल टेबलेट। सामान्यत प्रयोग दर्द निवारक दवा के रूप में। लेकिन अब तो इसे कई लोग नशे के रूप में प्रयोग लेने लगे हैं। यह दवा शैड्यूल एच में भी शामिल हैं। ऐसे में इसे बिना चिकित्सकीय परामर्श पर्ची के नहीं दी जा सकती है। लेकिन शहर में ट्रमाडॉल सहित शैड्यूल एच में शामिल कई दवा मेडिकल स्टोर पर धड़ल्ले से बेची जा रही है। राज्य सरकार के आदेश के बावजूद जोधपुर में इस ढर्रे के सुधार को लेकर कोई सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जबकि इस संबंध में औषधि नियंत्रक अधिकारी ने निर्देश जारी कर सहायक औषधि नियंत्रण विभाग को अलर्ट रहने के लिए कहा था। साथ ही इनके क्रय-विक्रय और वितरण पर विशेष नजर रखने की बात कही थी। वहीं शैड्यूल एच में शामिल एंटीबायोटिक लेवोफ्लोक्स दवा भी बाजारों में बेरोकटोक बिक रही है। पत्रिका टीम ने शनिवार व रविवार को जाना शहर में किस तरह मेडिकल स्टोर्स पर मिल जाती है शैड्यूल एच की दवाइयां।

डॉक्टर का नाम गलत बताया, फिर भी चल गया

टीम पावटा बी रोड के सामने एस. परिहार मेडिकल एंड जनरल स्टोर पहुंची। यहां टीम ने बिल सहित लेविफ्लोक्स-500 दवा मांगी। यहां पर टीम ने बिल पर किसी चिकित्सक का नाम लिखने का कहा तो काम करने वाले दो लड़कों ने कहा कि चिकित्सक का नाम तो आप बताओ। टीम ने ऐसे ही कोई नाम बताया तो बिल बना दिया गया। वहीं सिवांची गेट स्थित श्रीलक्ष्मी मेडिकल स्टोर पर भी अल्ट्रासेट गोली मांगी गई। यहां अल्ट्रासेट नहीं होने की बात कहकर इसी सॉल्ट की दूसरी दवा देने के लिए कहा। जिस पर यहां ट्रेमेफ-पी नाम की दवा बिल सहित दे दी। बिल में चिकित्सक के नाम की जगह महात्मा गांधी अस्पताल लिख दिया। हालांकि कुछेक दुकानों पर मेडिकल स्टोर पर केमिस्ट सख्त दिखाई भी दिए।

कहीं बिना बिल दवा तो कहीं दिया बिल

जालोरी गेट ओलम्पिक रोड स्थित गोयल मेडिकल्स पर पत्रिका टीम ने साधारण पर्ची पर लिखी गई एंटीबायोटिक दवा लेवीफ्लोक्स-500 मांगी। यहां एक ही पल में केमिस्ट ने दवा दे दी। साथ में यह भी कहा कि बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं देते हैं। फिर भी दवा दी और हाथ से लिखा हुआ बिल बनाकर थमा दिया। इसके बाद टीम रातानाडा सब्जी मंडी स्थित ऋषभ मेडिकल पर पहुंची। टीम ने अल्ट्रासेट (ट्रमाडोल सम्मिलित) दवा की पांच गोलियां मांगी। यहां भी केमिस्ट के सहयोगी ने बिना बिल दवा देने की बात कही। टीम ने बिल मांगा। लेकिन बिल नहीं दिया गया। यहां पर भी डॉक्टर के परामर्श की पर्ची नहीं मांगी गई।

ऐसा हाल है तो कठोर कार्रवाई होगी। जहां कहीं बिक रही है तो संबंधित अधिकारियों को भेज कार्रवाई करवाएंगे।

भरत गोस्वामी, एडीसी- द्वितीय

शैड्यूल एच की कोई भी दवा बिना चिकित्सकीय परामर्श के नहीं बिक सकती है। ट्रमाडोल सहित यह दवाइयां बाजार में बिक रही है तो गलत है। आपने ठीक जानकारी दी है, मैं पता करवाता हूं।

-अशोक भंडारी, औषधि नियंत्रक, राजस्थान

Miscellaneous